राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 9, सोमवार, शाके 1939–जुलाई 31, 2017
Sravana 9, Monday, Saka 1939-July 31, 2017

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2017

एस.ओ.136 :–भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1671 (ई) दिनांक 11.07.2008 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अजमेर को निम्न निर्देश जारी करती है :–

निर्देश

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि अजमेर शहर में स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाली ओमिनी बसों की संख्या को सीमित किये जाने की दृष्टि से स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाली ओमिनी बसों की मार्गवार अधिकतम संख्या पृथक–पृथक निर्धारित की जाये। अतः अजमेर शहर में अनन्य रूप से नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों पर संचालित होने वाले स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाली ओमिनी बसों की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अजमेर को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत नहीं करेंगी और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए अनुज्ञा–पत्रों की अधिकतम संख्या का 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत क्रमशः आरक्षण अनिवार्य होगा।

सारणी

अजमेर नगरीय क्षेत्र में स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाली ओमिनी बसों के लिए वर्णित स्वीकृत मार्गों पर अधिकतम वाहनों की संख्या/सीमा निम्नानुसार पृथक–पृथक निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं.	मार्ग सं.	मार्ग का नाम	ओमिनी बसों की अधिकतम संख्या
1.	1	चन्द्रवरदाई नगर–वैशाली नगर–जनाना अस्पताल	40
2.	2	चन्द्रवरदाई नगर से माकड़वाली	53
3.	3	हजारी बाग –शास्त्री नगर–जनाना अस्पताल	10
4.	4	ज्वाला प्रसाद नगर–नाका मदार–जनाना अस्पताल	62
5.	5	डबल फाटक –लोहाखान–जनाना अस्पताल	131
6.	6	ज्वाला प्रसाद–नाका मदार–मीरशाहअली	05
7.	7	हटूण्डी –विश्वविद्यालय–जनाना अस्पताल	261
8.	8	धोलाभाटा– कुन्दन नगर–मदार टेकरी	16
9.	9	फायसागर –दौराई–तबीजी	34
10.	10	माखुपुरा चौराहा से महाराणा प्रताप आवासीय कॉलोनी	29
11.	11	तबीजी –शास्त्री नगर–जनाना अस्पताल	26
12.	12	कल्याणीपुरा – कुन्दन नगर–मदार टेकरी	15
13.	21	रोडवेज बस स्टेण्ड से बोराज गांव	10
14.	22	माखुपुरा से दौराई रेल्वे स्टेशन	15
15.	23	माखुपुरा से अजयनगर	15

[संख्या एफ. 9 (922) परि/आर.टी.ए./मु./2002/पार्ट/40036]

राज्यपाल के आदेश से

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव (मु.)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।